झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, मेन रोड, रॉची – 834001.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया ज़ाता है कि दामोदर घाटी निगम ने वर्ष 2019 – 20 का विद्युत वितरण दर निर्धारण करने हेतू आयोग के समक्ष आवेदन देते हुए वर्ष 2016–17 का True-up, वर्ष 2018–19 का APR एवं वर्ष 2019–20 का ARR दिया है । आवेदन की एक प्रति दामोदर घाटी निगम ने वेबसाईट(www.dvc.gov.in) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 8 और 9 मार्च 2019 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 29 मार्च 2019 तक आपत्तियॉ/सुझाव/मंतव्य मांगा गया था । दामोदर घाटी निगम के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव/मंतव्य का उत्तर संबंधित व्यक्ति/संस्था को भेज दिया गया है । इस आवेदन की एक प्रति झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के वेबसाईट (www.jserc.org/dvc.aspx) पर भी उपलब्ध है ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत वितरण दर निर्धारण करने के पूर्व उक्त आवेदन पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के द्वारा **जन–सुनवाई** निम्नलिखित तिथियों को अंकित समयों एवं स्थानों पर होना सुनिश्चित किया गया है –

जन–सुनवाई की तिथि एवं समय	जन–सुनवाई का स्थान	जन–सुनवाई का स्थल
16.05.2019 (गुरूवार) 12.00 बजे दोपहर से	**हजारीबाग**	**Soil Conservation ऑफिस के सभागार, (डी0भी0सी0 आई0बी0 के सामने), कोर्रा पुलिस स्टेशन के नजदीक, हजारीबाग ।**
17.05.2019 (शुक्रवार) 2.30 बजे अपराह्न से	**मैथन**	**मैथन प्रशासनिक बिल्डिंग के सभागार, मैथन डैम, धनबाद ।**

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियॉ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेशानुसार

सचिव